

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर

//निविदा आमंत्रण सूचना//

BOT पद्धति से Revenue Sharing Model की तर्ज पर मॉडल टॉयलेट का निर्माण एवं 10 वर्षों तक संचालन-संधारण किये जाने के एवज में विज्ञापन अधिकार हेतु



क्रमांक 2722 / भ.नि.अ.प. / न.पा.नि. / 2021

रायपुर दिनांक 05/04/2021

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिक निगम रायपुर सीमा क्षेत्र अन्तर्गत बेहतर नागरिक सुविधा हेतु **BOT पद्धति से Revenue Sharing Model** की तर्ज पर मॉडल टॉयलेट का निर्माण एवं 10 वर्षों तक संचालन-संधारण किये जाने के एवज में विज्ञापन अधिकार हेतु इच्छुक व्यक्ति/एजेन्सी/फर्म/कंपनी, जो नगर निगम रायपुर में विज्ञापन एजेंसी के रूप में पंजीकृत हो, से अधिकतम दर प्राप्त करने सील बंद लिफाफे में दिनांक 26/04/21 को अपराह्न 5.00 बजे तक निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा द्वि लिफाफा पद्धति में रहेगी, जिसके अन्तर्गत लिफाफा 'अ' में (1) अमानत राशि का FDR/DD, जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/निजी बैंक से जारी हुआ हो, (2) निविदा प्रपत्र के मूल्य का डी.डी. (3) विज्ञापन एजेंसी का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति (4) निविदादाता/एजेंसी का पेन कार्ड की छायाप्रति (5) जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति एवं (6) पिछले 03 वर्ष के आयकर रिटर्न की छायाप्रति रहेगा। लिफाफा 'ब' में निविदा दर डाऊनलोड किये गये निविदा प्रपत्र में अंको एवं शब्दों में स्पष्ट अक्षरों में लिखा होना चाहिए। निविदादर में कांट-छाट नहीं होना चाहिए। दोनों लिफाफा को एक अलग से बड़े लिफाफा में भरकर सीलबंद कर जमा करना होगा। लिफाफा 'अ' में अमानत राशि का FDR/DD, निविदा प्रपत्र का डी.डी. व एवं विज्ञापन एजेंसी का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र तथा निविदादाता/एजेंसी का पेन कार्ड, जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन व आयकर रिटर्न की छायाप्रति पाये जाने पर ही लिफाफा 'ब' खोला जावेगा। निविदा स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से जमा किया जा सकेगा। निविदा दूसरे दिन उपस्थित निविदाकर्ताओं या उनके प्रतिनिधी के समक्ष दिनांक 27/04/21 को अपराह्न 5.00 बजे को खोली जावेगी। निविदा प्रपत्र नगर निगम के नवीन मुख्यालय (कार्यालय) भवन के नगर निवेश शाखा के रूम नं. 311 में जमा की जावेगी।


निविदा प्रपत्र मूल्य	दो हजार रुपये वापसी योग्य नहीं	
निविदा अवधि	10 वर्ष	
प्रस्तुत ऑफर की वैधता अवधि	90 दिन	
क.	स्थल विवरण	अमानत राशि
1.	खमतलाई बाजार	1,00,000 / -
2.	वार्ड क. 17, मानस भवन के पास	
3.	वार्ड क. 18, एफ.सी.आई. गोडाऊन के पास	
4.	वार्ड क. 05, न्यू आनंद नगर	
5.	वार्ड क. 02, सोनडोंगरी बस्ती	
6.	कलेक्ट्रेट कैम्पस	
7.	वार्ड क. 68, बाजार चौक के पास शासकीय स्कूल परिसर में	
8.	वार्ड क. 67, यूनिहोम्स के पास स्थिति शासकीय भूमि में	
9.	वार्ड क. 66, रामजानकी भवन के पास	
10.	वार्ड क. 42, अश्वनी/भीम नगर के पास स्थित शासकीय भूमि	
11.	वार्ड क. 02, अटल आवास कबीर नगर	
12.	वार्ड क. 23, लक्ष्मीनारायण मंदिर रोड, कोटा	
13.	शास्त्री बाजार	
14.	वार्ड क. 54, महाराजबंध तालाब के पास	
15.	वार्ड क. 54, बाजार चौक, डूण्डा	

//2//

16.	वार्ड क. 54, सतनामी मोहल्ला, डूण्डा	
17.	वार्ड क. 56, गुरुमुख सिंग नगर	
18.	वार्ड क. 55, सुमीत नगर	

टीप:-निविदा का विस्तृत विवरण नियम शर्तें एवं निविदा प्रपत्र नगर निगम की वेबसाइट www.nagarnigamraipur.nic.in से डाऊनलोड किया जा सकता है। डाऊनलोड किये गये निविदा प्रपत्र के साथ रू. 2000/- का डिमांड ड्राफ्ट संलग्न करना होगा।




नगर निवेशक
नगर पालिक निगम, रायपुर

निविदा प्रपत्र

प्रति,

नगर निवेशक,
नगर पालिक निगम,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :- BOT पद्धति से Revenue Sharing Model की तर्ज पर मॉडल टॉयलेट का निर्माण एवं 10 वर्षों तक संचालन-संधारण किये जाने के एवज में विज्ञापन अधिकार हेतु निविदा दर बाबत।

संदर्भ :- नगर निगम रायपुर द्वारा आमंत्रित निविदा क्रमांक..... दिनांक

---000---

क्र.	स्थल विवरण	निविदा दर प्रथम वर्ष हेतु (राशि रु. में)
1.	खमतराई बाजार	
2.	वार्ड क्र. 17, मानस भवन के पास	
3.	वार्ड क्र. 18, एफ.सी.आई. गोडाऊन के पास	
4.	वार्ड क्र. 05, न्यू आनंद नगर	
5.	वार्ड क्र. 02, सोनडोंगरी बस्ती	
6.	कलेक्ट्रेट कैम्पस	
7.	वार्ड क्र. 68, बाजार चौक के पास शासकीय स्कूल परिसर में	
8.	वार्ड क्र. 67, यूनिहोम्स के पास स्थिति शासकीय भूमि में	
9.	वार्ड क्र. 66, रामजानकी भवन के पास	
10.	वार्ड क्र. 42, अश्वनी/भीम नगर के पास स्थित शासकीय भूमि	
11.	वार्ड क्र. 02, अटल आवास कबीर नगर	
12.	वार्ड क्र. 23, लक्ष्मीनारायण मंदिर रोड, कोटा	

//2//

13.	शास्त्री बाजार	
14.	वार्ड क. 54, महाराजबंद तालाब के पास	
15.	वार्ड क. 54, बाजार चौक, डूण्डा	
16.	वार्ड क. 54, सतनामी मोहल्ला, डूण्डा	
17.	वार्ड क. 56, गुरुमुख सिंग नगर	
18.	वार्ड क. 55, सुमीत नगर	

निविदा की समस्त शर्तों का हमारे द्वारा पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया गया है एवं सभी शर्तों हमें मंजूर है। जिसके अनुसार निविदा दर में प्रतिवर्ष 05 प्रतिशत की वृद्धि हमें स्वीकार है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ की मेरा या मेरी संस्था का नाम किसी भी विभाग में काली सूची में दर्ज नहीं है।

निविदाकर्ता एजेन्सी का नाम :-

हस्ताक्षर एवं पूर्ण नाम :-

पूर्ण पता :-

दूरभाष क. एवं मोबाइल क. :-

अमानति राशि रू. 1,00,000/- :-
के एफ.डी.आर./DD का विवरण

पद्धति से Revenue Sharing Model की तर्ज पर मॉडल टॉयलेट का निर्माण एवं 10 वर्षों तक संचालन-संधारण किये जाने के एवज में विज्ञापन अधिकार हेतु आमंत्रित निविदा दिनांक की शर्तें

1. निविदा द्वि-लिफाफा पद्धति से होगा। लिफाफा 'अ' (1) अमानत राशि का FDR/DD, जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/निजी बैंक से जारी हुआ हो, (2) निविदा प्रपत्र के मूल्य का डी.डी. (3) विज्ञापन एजेंसी का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति (4) निविदादाता/एजेंसी का पेन कार्ड की छायाप्रति (5) जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति एवं (6) पिछले 03 वर्ष के आयकर रिटर्न की छायाप्रति रखना होगा। लिफाफा 'ब' में निविदा दर डारुनलोड किये गये निविदा प्रपत्र में अंको एवं शब्दों में स्पष्ट अक्षरों में लिखकर रखना होगा। निविदादर में कांट-छाट नहीं होना चाहिए। दोनों लिफाफा को एक अलग से बड़े लिफाफा में भरकर सीलबंद कर जमा करना होगा।
2. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
3. अमानती राशि डिमांड ड्राफ्ट अथवा एफ.डी.आर. के रूप में जो कि राष्ट्रीयकृत बैंक/निजी बैंक से जारी किया गया हो, एवं जीवित हो आयुक्त नगर पालिक निगम, रायपुर के नाम से जमा करना होगा।
4. यह एक Revenue Sharing Model की तरह है, जिसमें एजेंसी सुविधाये बनायेगी तथा 10 वर्षों तक संधारण-संचालन करेगी। इसके लिए उनको विज्ञापन हेतु 2400 वर्गफीट यूनीपोल बनाने एवं उस पर विज्ञापन का अधिकार दिया जायेगा तथा एजेंसी Revenue नगर निगम को Share करेगी।
5. निविदा हेतु प्रत्येक निविदाकार को एक निविदा फार्म भरना होगा, जिसमें अलग-अलग मॉडल टॉयलेट हेतु अलग-अलग निविदा दर भरना होगा। प्रत्येक टॉयलेट स्थल के लिए जिस भी निविदाकार द्वारा अधिकतम दर प्रस्तुत किया जायेगा, उसे सफल निविदाकार माना जायेगा अर्थात् अलग-अलग टॉयलेट स्थल हेतु अलग-अलग सफल निविदाकार हो सकते हैं।
6. मॉडल टॉयलेट पर बी.ओ.टी. (Built Operate & Transfer) के आधार पर विज्ञापन का अधिकार के लिए निविदा, 10 वर्ष की अवधि हेतु आमंत्रित की गई है। अवधि समाप्ति पश्चात् सभी स्थापित मॉडल टॉयलेट स्वमेव नगर निगम रायपुर को हस्तांतरित हो जायेंगे।
7. अनुबंध 10 वर्ष की अवधि के लिये किया जायेगा तथा प्रत्येक वर्ष समाप्ति पश्चात् स्वीकृत वार्षिक निविदा दर में 5 प्रतिशत की क्रमोत्तर वृद्धि की जावेगी। राशि निर्धारित अवधि में जमा न कराये जाने पर कुल देय राशि में प्रतिमाह 1 प्रतिशत की दर से अधिभार लिया जायेगा।
8. दर स्वीकृत होने की सूचना प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर स्वीकृत हुए प्रथम वर्ष के किराया राशि का 30% राशि जमा करते हुए इकरारनामा करना होगा। इकरारनामा न करने व कार्य प्रारंभ न करने की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा निविदा निरस्त किया जा सकेगा एवं अमानती राशि राजसात करते हुए ब्लैक लिस्टेट करने की कार्यवाही की जा सकेगी। अनुबंध करा लेने के बाद ही कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा, इस हेतु निविदाप्राप्तकर्ता एजेंसी को पृथक से कार्यादेश जारी किया जायेगा।

कार्यादेश जारी दिनांक से एक निश्चित अवधि टॉयलेट के निर्माण एवं यूनीपोल की स्थापना हेतु दी जायेगी, जिसका विवरण निम्नानुसार है -

समयावधि

03 माह


तत्पश्चात् अर्थात् यूनीपोल स्थापना हेतु दी गई अवधि समाप्ति दिनांक के दूसरे दिन से किराया लागू माना जावेगा। स्थल उपलब्धता के संबंध में किसी प्रकार की त्रुटी होने पर, निविदाप्राप्तकर्ता एजेंसी को इसकी सूचना कार्यादेश प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करना होगा। किसी भी अवधि में प्रदर्शन न कर पाने की स्थिति में नगर निगम जिम्मेदार नहीं होगा। निर्धारित निविदा राशि जमा करना अनिवार्य होगा।

9. निविदा 10 वर्ष के लिए आमंत्रित की गई है, परन्तु निविदा राशि निविदा प्रपत्र में प्रथम वर्ष के लिए भरनी होगी। निविदा स्वीकार होने पर प्रथम वर्ष का किराया अनुबंध के पूर्व दर स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर 30% राशि जमा करना अनिवार्य है तथा शेष राशि कार्यादेश जारी दिनांक से 06 माह के भीतर जमा करना होगा। साथ ही प्रत्येक आगामी वर्ष का किराया वर्ष प्रारंभ होने के 1 माह पूर्व वृद्धि सहित जमा करना होगा। भुगतान तीन माह से अधिक विलम्ब होने पर निविदा निरस्त करने का अधिकार नगर निगम को होगा। ऐसी स्थिति में समस्त सम्पत्तियों का मालिकाना हक नगर निगम का होगा।
10. यदि मॉडल टॉयलेट की संख्या किन्ही कारणों से बढ़ायी या घटायी जाती है, तो अनुपातिक ढंग से निविदा राशि की गणना की जायेगी।
11. किन्ही अपरिहार्य कारणों से मॉडल टॉयलेट लगाने का कार्य निरस्त किया जाता है, तो अमानति राशि वापस की जायेगी, किन्तु सफल निविदाकार को किसी तरह की क्षतिपूर्ति नहीं की जायेगी।
12. टॉयलेट निर्माण हेतु स्थल लगभग 700 से 1000 वर्गफीट नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
13. निर्मित शौचालयों में पांच पुरुष हेतु, पांच महिला, एक बच्चे, एक तृतीय लिंग, पांच यूरिनल पॉट, की व्यवस्था होगी। एक शौचालय विकलांगों के लिये भी होगी। विकलांगों के सुविधापूर्वक आवागमन हेतु रैम्प का निर्माण किये जाने का प्रावधान किया जाना होगा।
14. शौचालय में वॉश बेसिन एक पुरुष क्षेत्र के लिए एवं एक महिला क्षेत्र के लिए, शौचालय के सामने प्लांटेशन किया जाना होगा। बेबी फिडिंग रूम का प्रावधान देना होगा। वेटिंग लॉक में सोफा, टेलीविजन इत्यादि लगाया जाना होगा। एयर कंडिशनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। शेष अन्य सुविधाएं भारत सरकार द्वारा संचालित स्वच्छ भारत योजना मिशन अन्तर्गत ओ.डी.एफ.++ पोटोकॉल के तहत किया जाना होगा।
15. विज्ञापन माध्यम से के रूप में यूनीपोल स्थापित किया जाना है। इस हेतु स्थापित किये जाने वाले यूनीपोल का स्ट्रक्चरल डिजाइन नगर निगम में पंजीकृत सक्षम स्ट्रक्चरल इंजीनियर से तैयार कराने की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी तथा उन्हें यूनीपोल की डिजाइन सुरक्षित होने का प्रमाण पत्र एन.आई.टी./जी.ई.सी., रायपुर से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करना होगा।
16. किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर के पास सुरक्षित है।
17. यूनीपोल आंधी-तूफान या अन्य किसी कारण से आंशिक या पूर्ण रूप से ध्वस्त होने से जन/धन की हानि होने पर स्वयं जिम्मेदार होने के संबंध में निविदाकार को विज्ञापन (पंजीयन व विनियमन) उपविधि 2012 के निर्धारित प्रारूप में वचनबन्ध 50 रूपयों के गैर न्यायिक स्टाम्प पत्र पर हस्ताक्षर कर नोटराईज्ड कराकर, अनुबंध के पूर्व प्रस्तुत करना होगा।
18. यूनीपोल स्थापित करने के उपरांत समस्त आवश्यक संधारण का कार्य निविदाकार को स्वयं के व्यय से प्रतिवर्ष करना होगा तथा प्रतिवर्ष संधारण कार्य करने की जानकारी देना होगा।
19. यूनीपोल में विद्युत कनेक्शन हेतु सफल निविदाकार एजेंसी को अनापत्ति पत्र दिया जा सकेगा। विद्युत कनेक्शन निविदाकार को स्वयं के व्यय पर लेना होगा एवं देयकों का भुगतान उसे स्वयं करना होगा।
20. निविदा प्राप्तकर्ता एजेंसी द्वारा यूनीपोल स्थापित करने एवं उस पर प्रचार-प्रसार करने के अधिकार को बिना सक्षम स्वीकृति के किसी अन्य व्यक्ति/एजेंसी/फर्म को हस्तान्तरित नहीं किया जा सकेगा।

21. नगर निगम द्वारा निर्धारित स्थान मॉडल टॉयलेट के आजू-बाजू में ही यूनीपोल लगाना होगा। आवश्यकतानुसार स्थल परिवर्तन करने का अधिकार आयुक्त नगर निगम, रायपुर को होगा।
22. अन्य दूसरों विभागों से अनुमति लेने की स्थिति में एजेन्सी स्वयं के व्यय पर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करेगा।
23. निविदाकार एजेंसी स्थापित यूनीपोल में, शासन द्वारा प्रतिबंधित वस्तुओं एवं अश्लील विज्ञापनों का प्रदर्शन नहीं करेगा।
24. स्थापित यूनीपोल को किन्हीं कारणों से अन्यत्र स्थानांतरित किये जाने की स्थिति में निविदाकार एजेंसी को स्वयं के व्यय से निगम द्वारा निर्धारित स्थान पर स्थापित करना होगा।
25. निविदाकार किसी भी शासकीय/अर्धशासकीय या नगरीय निकाय आदि में कालीसूची में दर्ज न हो।
26. किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम, रायपुर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
27. अमानत राशि का एफ.डी.आर निविदा स्वीकृत होने पर प्रतिभूति स्वरूप रहेगी एवं जिस विज्ञापन एजेन्सी की निविदा स्वीकृत होगी, उसे छोड़कर शेष का जमा एफ.डी.आर. वापस कर दी जायेगी एवं जिसकी स्वीकृत होगी उनका एफ.डी.आर. निविदा अवधि समाप्त होने पर नियमानुसार वापस की जावेगी।
28. कार्य के संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालयीन दिवस एवं समय पर नगर पालिक निगम, रायपुर मुख्यालय भवन के रूम नं. 311 स्थित नगर निवेश शाखा से प्राप्त की जा सकती है।
29. निविदा दर जी.एस.टी. सहित माना जायेगा। इसके लिए अलग से जी.एस.टी. राशि एजेंसी के द्वारा देय नहीं होगा।
30. कार्य को बढ़ाने अर्थात् अतिरिक्त स्थान पर कराने का आदेश आयुक्त, नगर निगम दे सकेंगे। एजेंसी को मानना होगा।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में आयुक्त, नगर निगम द्वारा 15 दिनों का नोटिस दिया जाकर अनुबंध निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।




 नगर निवेशक
 नगर पालिक निगम, रायपुर